न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–338/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00026)

1 भौरया पुत्र महादेव,
2 बोदन पुत्र महादेव, समस्त जाति जोगी, निवासी ग्राम बोरेट उर्फ हरिरामपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1 जिन्सी पुत्र जमना उर्फ जगन्या,
2. हरफूल पुत्र जमना उर्फ जमन्या,
3. सियाराम पुत्र जमना उर्फ जमन्या, समस्त जाति जोगी, निवासी ग्राम बोरेट उर्फ हरिरामपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. सूजां उर्फ नारायण पुत्री जमना उर्फ जमन्या पत्नी जयनारायण जाति जोगी निवासी ग्राम दन्ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. केशरी पुत्री जमना उर्फ जमन्या पत्नी श्री जाति जोगी निवासी खरड़, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
6. सोना उर्फ सोनी पुत्री जमना उर्फ जमन्या पत्नी मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम मोरडी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 30.05.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के आदेश दिनांक 03.07.2015 (प्रकरण संख्या 277/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि खसरा नम्बर 10 रकबा 5.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 10/468 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.11 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.49 हैक्टयर ग्राम बोरेट उर्फ हरिरामपुरा तहसील जमवारामगढ में अपीलान्ट्स के नाम 1/6 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है, उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता जमना के फर्जी हस्ताक्षर कर 1/6 हिस्सा अंकित करने हेत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 03.07.2015 को प्रस्तुत किया गया जिस पर बिना अपीलान्ट्स को नोटिस अथवा सूचना प्रदान किये ही दिनांक 03.07.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलान्ट व अन्य हिस्सेदारान के हिस्से को कम करते हुए जमना के हिस्से में अवैध, गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र से बाहर हिस्सा 1/6 अंकित करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिये गये है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित करते समय इस कानूनी बिन्दू पर कोई विचार नही किया है कि जमना उर्फ जमन्या के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है क्योंकि जमना उर्फ जमन्या की मृत्यु दिनांक 27.12.1988 को अर्थात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के करीबन 27 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों की कोई पालना नही की गई है, धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान की सहमति प्राप्त करके केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि का ही राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करने के पूर्व अपीलान्ट्स व अन्य सहखातेदारान को किसी प्रकार से सूचित नही किया गया है एवं न ही सहमति प्राप्त की गई, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय कानून के विपरित होने एवं न्याय संगत नही होने व क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पत्रावली संख्या 277/2015 में पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2015 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने भी अपील के तथ्यों को समर्थन करते हऐ अपील स्वीकार करने में अपनी सहमति दी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08110005480016400024/2015 दिनांक 07.08.2015 के अवलोकन से जाहर होता है कि जमना उर्फ जमन्या योगी की मृत्यु दिनांक 27.12.1988 को हुई है, ऐसी स्थिति में दिनांक 03.07.15 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमना उर्फ जमन्या द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की गहनता से बिना जांच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.15 पारित किया गया है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं प्रकरण में उक्त तथ्यों की गहनता से जांच की जाकर पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर